

**बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग**  
**5, हार्डिंग रोड, पटना-800001**  
**(वेबसाइट: <https://bpsc.bihar.gov.in>)**  
**संदर्भ: विज्ञापन संख्या-02/2025**

**बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में “वनों के क्षेत्र पदाधिकारी” के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम।**

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में “वनों के क्षेत्र पदाधिकारी” की 24 (चौबीस) रिक्तियों के विरुद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक-29.04.2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2025 के क्रम में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक-24.08.2025 (रविवार) को दो पालियों में आयोजित की गयी।

(2) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 144 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आहूत किया गया। साक्षात्कार का आयोजन दिनांक-19.11.2025 से 21.11.2025 तक पटना में किया गया। साक्षात्कार में कुल-08 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

(3) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार में पात्र पाये गये 136 अभ्यर्थियों का शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण दिनांक-18.12.2025 को संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में आयोजित कराया गया। शारीरिक समर्थता परीक्षण के दौरान विभिन्न चरणों में निम्नलिखित कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है:

क्र०सं०	अयोग्य होने का कारण	अभ्यर्थियों की संख्या
1	शारीरिक समर्थता परीक्षण में अनुपस्थित	01
2	दौड़ में असफल	01
3	अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक जाँच-माप में असफल	03
4	दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य	01
योग		06

(4) शारीरिक समर्थता परीक्षण में पात्र पाये गये 130 अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक-02.01.2026, 03.01.2026 एवं 05.01.2026 को सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के गर्दनीबाग स्थित कार्यालय में आयोजित कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में अनुपस्थित/अयोग्य अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है:

क्र०सं०	अयोग्य होने का कारण	अभ्यर्थियों की संख्या
1.	चिकित्सीय परीक्षण में अनुपस्थित	01
2.	चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य (Unfit)	12
योग		13

- (5) बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-23/नियुक्ति-01-224/2024, सा0प्र0 1016 दिनांक-17.01.2025 द्वारा प्राप्त अध्याचना के अनुसार “वनों के क्षेत्र पदाधिकारी” पद की 24 (चौबीस) रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	आरक्षण/कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	अनारक्षित (01)	02 (दो)	00
	अनुसूचित जाति (02)	10 (दस)	00
	अनुसूचित जनजाति (03)	01 (एक)	00
	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	03 (तीन)	00
	पिछड़ा वर्ग (05)	07 (सात)	00
	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	00	00
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	01 (एक)	00
	कुल	24 (चौबीस)	00
2.	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित (2 प्रतिशत) कुल पदों की संख्या		00
3.	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (4%) कुल पदों की संख्या		00

(6) बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधान:- (i) बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-23/नियुक्ति-01-224/2024, सा0प्र0 1016 दिनांक-17.01.2025 (ii) “बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2013” अधिसूचना सं0-वन/क्षेत्र पदा0-06/2012 50/प0व0, पटना-15, दिनांक-06.01.14 एवं “बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2020” तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक समर्थता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण आदि अर्हता के आधार पर पात्र 117 अभ्यर्थियों पर अंतिम रूप से चयन हेतु विचार किया गया।

(7) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार चयन किया जा रहा है।

(8) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद की 24 (चौबीस) रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित एवं नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है:

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
मूल रिक्ति 24	02	00	02	01	00	01	10	00	10	01	00	01	03	00	03	07	00	07
चयनित	02	00	02	01	00	01	10	00	10	01	00	01	03	00	03	07	00	07
शेष रिक्ति	← शून्य →																	
कुल चयनित योग-24																		

- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद की 24 (चौबीस) रिक्तियों के विरुद्ध 24 पुरुष अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं।
  - वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद की सभी कोटि की सभी रिक्तियाँ भरी गयी।
- (9) विभिन्न आरक्षण कोटियों का Cut-off Marks निम्नवत है:

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी			
क्र० सं०	श्रेणी/कोटि	Cut off Marks	DOB
1	अनारक्षित (सामान्य)	310.30	21/11/1994
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	305.70	28/04/1997
3	अनुसूचित जाति	277.50	20/01/1995
4	अनुसूचित जनजाति	285.60	06/08/1998
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	304.70	16/09/1996
6	पिछड़ा वर्ग	302.70	10/02/1998

बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत् है:

कृपया इसे मेधा सूची न समझें।

1412010178	1412010920	1412010958	1412030286
1412040708	1412050253	1412060329	1412060630
1412060768	1412070218	1412070523	1412070682
1412110323	1412130424	1412130492	1412140251
1412140318	1412160115	1412180107	1412190213
1412220420	1412230257	1412240356	1412270246

(10) **अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचान:-** नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ-साथ चरित्र सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(11) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना को प्रेषित की जा रही है।

(12) **योगदान:-** (a) योगदान के संबंध में अग्रेतर निर्देश नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। नियुक्ति प्राधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना योगदान के पश्चात परिणामी प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करेंगे।

(b) चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों यथा- (i) वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे- मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि, (ii) स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, (iii) जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति), (iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, (v) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए), महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, (vi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए), (vii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य (यदि लागू हो तो) होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर निर्गत प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या- 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में (viii) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) एवं (ix) भूतपूर्व सैनिक पी0पी0ओ0 एवं डिस्चार्ज बुक (यदि लागू हो तो) आदि संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे।

(13) प्रेस में मुद्रण एवं टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(14) दलालों से सावधान रहें एवं ऐसे संदिग्धों के सम्बन्ध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।

पत्र संख्या:-बि.पु.अ.से.आ./परीक्षा/01-01/2025-149

दिनांक-03.02.2026

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना - 800001

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।